न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/144/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/447

अपीलार्थी

श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा,
ग्राम–सैंथल, पोस्ट–प्रागपुरा वाया रैणी,
जिला–अलवर (राज.)–301409

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

प्रवेश तिथि :: 13.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 29.08.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम, अलवर के कार्यालय से संबंधित दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेस वे 148एन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा निर्धारण संबंधी बिन्दुवार सूचना/विविध आदेशादि की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 10.10..22 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 2488 दिनांकः 28.10.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांकः 29.08.2022**, प्रथम अपील दिनांकः 10.10.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा इस लोक प्राधिकरण अंतर्गत संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर उक्तानुसार पत्र सं. 2519 दिनांकः 28.10.22 के माध्यम से अपीलार्थी को प्रश्नगत सूचना प्रेषित की जा चुकी है किन्तु सूचना आवेदन दिनांकः 29.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र दिनांकः 10.10.2022 के माध्यम से सूचना प्रेषित किया जाना विलम्ब कारित प्रतीत होती है, भविष्य में अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार अविलम्ब सूचना प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
8. तथापि उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण अपील खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 01.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)